



(☎ 022-22862703) ई-मेल/e-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

सं. No. 7/2/2019/IR&W/14069

नवम्बर November 15, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : शववाहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति - के संबंध में ।

Subject: Reimbursement of Hearse Charges – reg.

सीएचएसएस नियम सं. 14.6 और पऊवि के दि. 8.3.2016 के का.जा. सं. 7/4/2016/आईआरएण्डडब्ल्यू/4214 के अनुसार 'ए' और 'बी' श्रेणी में के कर्मचारी जो रु. 8000/- अथवा उससे कम आहरित करते हैं, वे उस स्कीम के मृत लाभार्थी हेतु 'शववाहन' भाड़े पर लेने हेतु रु. 200/- तक की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं।

As per CHSS Rule No. 14.6 and DAE OM No. 7/4/2016/IR&W/4214 dated 8.3.2016 employees in Category 'A' and 'B' i.e. drawing Rs.8000/- or less are eligible for reimbursement upto Rs.200/- for hiring 'hearse' for a deceased beneficiary of the scheme.

2. नियम 14.6 के तहत निर्धारित शववाहन के प्रभार की राशि बढ़ाने के अनुरोध पर विभाग द्वारा जांच की गई। मामले को सीएचएसएस जांच समिति के समक्ष भी रखा गया और सिफारिशों के आधार पर, इस संबंध में वर्तमान प्रावधान हटाने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, सीएचएसएस के नियम सं. 14.6 को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है।

Request for increasing the amount towards hearse charges prescribed under Rule 14.6 has been examined in the Department. The matter was also placed before the CHSS Review Committee and based on the recommendations, it is decided to withdraw the existing provision in this regard. Accordingly, Rule No.14.6 of CHSS stands deleted with immediate effect.

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सेवा में To

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities